भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3932

दिनांक 17 जुलाई, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

चाय बागान श्रमिक

3932. श्री पल्लब लोचन दासः
क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में चाय बागान श्रमिकों की कार्यदशाओं के सुधार हेतु सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार चाय बागानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के लिए किसी न्यूनतम मजदूरी सहायता अधिनियम को लागू करने की योजना बना रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में चाय बागानों में कार्य कर रहे श्रमिकों के आश्रितों को पर्याप्त मुआवजे का भुगतान करने हेतु किसी योजना को कार्यान्वित किया है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में चाय बागानों में कार्य कर रहे श्रमिकों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए अपनाए गए अन्य उपायों और नीतियों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) गत चार वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उक्त उद्देश्य हेतु संवितरित की गई कुल राशि कितनी है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ड.): देश में चाय श्रमिकों की कार्यदशा को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रशासित एवं संबद्ध राज्य सरकारों द्वारा लागू बागान श्रम अधिनियम (पीएलए), 1951 द्वारा शासित किया जाता है, जो, अन्य बातों के साथ - साथ, आधारभूत कल्याणकारी सेवाओं एवं आवासन, चिकित्सा और प्राथमिक शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता नामक सुविधाएं प्रदान करता है ।

चाय बोर्ड चाय श्रमिकों एवं उनके बच्चों/आश्रितों के लिए कुछ कल्याणकारी उपायों को भी करता है, जो प्रकृति में अनुपूरक हैं । श्रमिक कल्याणकारी उपायों को चाय विकास एवं सवंर्धन स्कीम के तहत मानव संसाधन विकास (एचआरडी) घटक के दायरे में किया जाता है । चाय बोर्ड ने श्रमिकों और उनके बच्चों/आश्रितों के लाभ के लिए एचआरडी घटक के तहत विगत 4 वर्षो (2015 -16 से 2018 - 19) और चालू वर्ष (30.06.2019 तक- अनंतिम) में 17.76 करोड़ रूपए की राशि संवितरित की है ।

चाय उद्योग के श्रमिकों को कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (असम चाय बागान भविष्य निधि, पेंसन निधि और जमा लिंक बीमा निधि स्कीम अधिनियम, 1955, - केवल असम के लिए), बोनस भुगतान अधिनियम, 1965, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976, औद्योगिकी विवाद अधिनियम, 1947 एवं औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 जैसी विभिन्न औद्योगिक एवं सामाजिक सुरक्षा विधियों द्वारा भी कवर किया गया है ।

चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है । चाय बागान श्रमिकों की मजदूरी उत्पादक एसोशिएसनों और श्रमिक यूनियनों के मध्य समझौते के अनुसार तय की जाती है ।

******